



प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवेदन क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 140888/
26586

कानूननय जिला शिक्षा अधिकारी (गुवासरि), मध्यप्रदेश

स्कूल The Pacific International Public
School

मान्यता का प्रकार - जमीनीकरण मान्यता / जमीन मान्यता

मान्यता दिनांक - 02/06/2022

सं - 2022-23

प्रति

प्रबंधक (The Pacific International Public School)

विषय : नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पर ।


सूचीकरण / महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 21/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पर्याप्ततरी पर व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - The Pacific International Public School डाइस कोड - 23040319010 स्कूल क्रमांक - PS 26586 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी -

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई कालावधि किसी भी रूप में विस्तारित नहीं होगी
- स्कूल नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोसों की सौभाग्य के उचित समूह तथा बचपन से बच्चों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बच्चों को उस अनुपात में नि-शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवंटनी व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवंटनी सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पंचवर्षीय प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्ण स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैर 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को धूक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- लेसइटी/स्कूल कोई भी वीपिटीशन पीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा -
 - o (क) आयु के सबूत के अभाव में ;
 - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के परचयगत ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
 - o किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
 - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा,
 - o प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी ;
 - o नियम 19 के अधीन प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पर दिया जाएगा;
 - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि-शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समर्थित किया जाएगा
 - o अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रायश्चित्त होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रायश्चित्त होने के दिनांक से 5 वर्ष के अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
 - o शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनीतकृत कर्तव्यों का पालन करना होगा
 - o प्रायश्चित्त टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेगे/लेगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा

Digitally signed by SHARMA SURESH KUMAR
Date: 2022.03.07 10:52:44 +05:30
Reason: I am the Principal
(Signature 2022)


PRINCIPAL
The Pacific International
Public School Gwalior
School Aff. No.- 1030575